सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : जी० 7638/2024

दिनांक : 13.06.2024

प्रेषक,

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.वाराणसी।

सेवा में,

समस्त सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषयः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत नियुक्त/कार्यरत प्राचार्यो/शिक्षकों के सेवा विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ.शि.) डिग्री विकास अनुभाग उ.प्र. प्रयागराज के पत्रांक संख्या-डिग्री विकास/438-39/2024-25 दिनांक 03.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें। तदुनसार आपके महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित/प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत प्राचार्यो/शिक्षकों का सेवा विवरण (पदनाम, वेतनमान, कार्यभार ग्रहण तिथि, निर्धारित अधिवर्षिता वय आदि) उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निदेशित किया जाता है कि अविलम्ब उक्त सूचनायें ई-मेल ssvvregistrar@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। कार्य पर सर्वोच्च ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोक्त

(राकेश कुमार आई.ए.एस.)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ ।
2. आशुलिपिक कुलसचिव।
3. शिक्षा निदेशक (उ.शि.) डिग्री विकास अनुभाग उ.प्र. प्रयागराज के पत्रांक सं.-डिग्री विकास/438-39/2024-25 दिनांक 03.06.2024के सातत्य में सूचनार्थ।
4. श्री मोहित मिश्र, प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालयों को ई-मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. उप कुलसचिव (सम्बद्धता)।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

13/6/2024

(राकेश कुमार आई.ए.एस.)
कुलसचिव

जी0-7638/24
06.06.2024

कु0 प0 4589/24
04/06/24

DR(Affi)
04/6/2024

Registrar

समयबद्ध/ शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
डिग्री विकास अनुभाग
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांकः डिग्री विकास/ 438 /2024-25 दिनांक- 03 /06 /2024

विषय -शासन को आईजीआरएस प्रणाली पर प्राप्त शिकायत संख्या- 18157190126160 के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या आई0जी0आर0एस0 69/ सत्तर-2-2024 दिनांक- 28.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा शासन ने सुश्री जय देवी, मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष दर्ज उपरोक्त शिकायत की प्रति संलग्न करते हुए प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाने की अपेक्षा की है । अपने पत्र दिनांक- 26.11.2019 द्वारा मा0 विधायक ने उत्तर प्रदेश राज्य के सभी राज्य वि0वि0 से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों / प्राचार्यों का विवरण आनलाइन कर केन्द्रीकृत डाटावेस तैयार कराकर विश्वविद्यालय की बेवसाइट / उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का अनुरोध किया है ।

अतएव शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक- 28.05.2024 एवं मा0 विधायक के पत्र दिनांक- 26.11.2019 के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन एवं इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक- उक्तवत् ।

भवदीय,
3/6/24
डॉ0(अपर्णा मिश्रा)
सयुक्त निदेशक,(उ0शि0)
कृते-शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पृष्ठांकन संख्या- डिग्री विकास/ 438-39 / उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-02, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-आई0जी0आर0एस0 69/ सत्तर-2-2024 दिनांक- 28.05.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।
2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित वि0वि0 से सामंजस्य स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

03/6/24
डॉ0(अपर्णा मिश्रा)
संयुक्त निदेशक,(उ0शि0)
कृते-शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

आई.जी.आर.एस./समयबद्ध
संख्या- 1625 /सत्तर-2-2024
69

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 | लखनऊः दिनांकः 28 मई, 2024

विषयः शासन को आईजीआरएस प्रणाली पर प्राप्त कुल 09 **मुख्यमंत्री सन्दर्भों** के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-आईजीआरएस-42/सत्तर-2-2024 दिनांक 03 मई, 2024, पत्र संख्या-आईजीआरएस-805/सत्तर-2-2024 दिनांक 29 अप्रैल, 2024 एवं पत्र संख्या-आईजीआरएस-03/सत्तर-2-2024 दिनांक 18 जनवरी, 2024 का मयसंलग्नक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आईजीआरएस प्रणाली पर प्राप्त कुल 09 **मुख्यमंत्री सन्दर्भों** (12135230227439,12157230225245,12170230172019,12194210052559,15180230096034,15204230164600,17216821000412,17220221001873 व 18157190126160) के संबंध में निस्तारण विषयक गुणवत्तापूर्ण आख्या अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, जो कि पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अप्राप्त है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आईजीआरएस संदर्भों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए उसकी गुणवत्तापरक निस्तारण आख्या शासन को 02 दिन के भीतर प्राथमिकता पर उपलब्ध करने का कष्ट करें।

चूंकि प्रकरण आईजीआरएस के लंबित सन्दर्भों से आच्छादित है। अतः शीघ्रता अपेक्षित है। यदि समयान्तर्गत निस्तारण आख्या शासन को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो सम्बंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

स0नि0
29/5/24
प्रा0 नि0
प्र0 मनोज भा0
IGRS प्र0
30/5/24

(14)

(3)

[illegible]संख्या: 18157190126160

[illegible]र्थक का विवरण

नाम: श्रीमती जयदेवी | पिता/पति का नाम: --- | आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 8887150968 | मोबाइल न.2: 9793833158 | ई-मेल आईडी: ---

पता: आवास- बेगरिया, पो0- बरावनकला दुबग्गा काकोरी, जिला-लखनऊ | आवेदन का प्रकार: मांग

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: प्रार्थना पत्र पर विचार कर विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन के दिनांक 19 सितम्बर, 2019 के आदेश का अनुपालन कराते हुये राज्य विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों/प्राचार्यों का विवरण एक्सल सीट पर ऑनलाइन कर केन्द्रीयकृत डाटा बेस विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन की बेवसाइड पर सार्वजनिक करने का आदेश देने के संबंध में।

सदर्भ दिनांक: 25-11-2019 | पूर्व सन्दर्भ संख्या(यदि है तो): -----

[illegible]वेभाग: उच्च शिक्षा विभाग | सन्दर्भ श्रेणी: अन्य प्रकरण

[illegible]ोत : - | प्रकृति: सामान्य

[illegible]तर : विधायक स्तर | पद :

[illegible]स्तुतिकर्ता का विवरण:

[illegible]ाम: श्रीमती जयदेवी | संस्तुतिकर्ता का विवरण: सदस्य विधान सभा,आवास, बेगरिया, पो0 बरावनकला दुबग्गा काकोरी, लखनऊ

[illegible]मेल: --- | मोबाइल नंबर: 8887150968,9793833158

[illegible]ावेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

[illegible]ग:

[illegible]कायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

[illegible]प्रसारित विवरण

सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति

आ ख्या	आर०एन० सिंह (विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय)	29-11-2019	29-12-2019	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/स चिव-उच्च शिक्षा विभाग	कृपया परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अ पेक्षा की गयी है।	सिं प र तदे

जय देवी

168 विधायक
विधानसभा क्षेत्र
मलिहाबाद, लखनऊ

आवास :
बेगरिया पो0 बरावनकला
दुबग्गा काकोरी, लखनऊ
क्र0 No 148753

विधायक निवास:
111-बी, दारूलसफा, लखनऊ
दूरभाष : 9793833158
8887150968

दिनांक - 26/11/2019

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

कार्यालय
राज्य शिक्षा ... सं0
पत्रांक सं... 386.../.../2019

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा श्री जे0पी0 सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, उच्च शिक्षा उत्थान समिति उ0प्र0, लखनऊ का पत्र संलग्न कर दिनांक 23-07-2019 को आपके यहाँ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उ0प्र0 के सभी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों/प्राचार्यों का विवरण **ऑनलाइन कर केन्द्रीयकृत डाटा बेस तैयार कराकर विश्वविद्यालय की बेवसाइड/उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन की बेवसाइड पर सार्वजनिक** करने के सम्बन्ध में था, जिस पर आप द्वारा अपर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उ0प्र0शासन को निर्देशित किया गया था, जिस पर अपर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा के कार्यालय द्वारा विशेष सचिव, उच्च शिक्षा श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को लखनऊ विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को विवरण ऑनलाइन कर केन्द्रीयकृत डाटा बेस तैयार कर विश्वविद्यालय की बेवसाइड पर सार्वजनिक करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन अभी तक उक्त के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पायी है, जिसके कारण उ0प्र0 में एक शिक्षक का एक से अधिक विश्वविद्यालयों में अनुमोदन चल रहा हैं, जोकि बडे पैमाने पर शिक्षक/प्राचार्य अनुमोदन घोटाला है। इस गलत व्यवस्था को दूर किया जाना शिक्षक/छात्रहित में न्यायोचित होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन के दिनांक 19 सितम्बर, 2019 के आदेश का अनुपालन कराते हुए राज्य विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों/प्राचार्यों का विवरण एक्सल सीट पर ऑनलाइन कर केन्द्रीयकृत डाटा बेस विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन की बेवसाइड पर सार्वजनिक करने का आदेश देने की कृपा करें और साथ दिनांक 19 सितम्बर, 2019 द्वारा विशेष सचिव उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन के आदेश का अनुपालन न करने वाले राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर,

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा
कृपया परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है।
27.11.2019
(आर० एन० सिंह)
विशेष कार्याधिकारी
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

28 NOV 2019

भवदीया

जय देवी
(जय देवी)
जयदेवी
विधायक